हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड

हाँसी रोड़, भिवानी–127021

website : bseh.org.in e-mail : adew@bseh.org.in Ph : 01664-244171 to 244176, Extension-384

क्रमांक : 7145 /शैक्षिक

दिनांक : 20-05-2019

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी डी.एल.एड. शिक्षण एव प्रशिक्षण संस्थान
हरियाणा प्रदेश।

विषय : डी.एल.एड. कोर्स में परीक्षाओं के दौरान 01 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित छात्र–अध्यापकों की पुनः परीक्षाओं व दाखिला बारे।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 7052/शैक्षिक दिनांक 16.04.2019 की निरंतरता में लिखा जाता है कि डी.एल.एड. कोर्स में परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन प्रयोग मामले में 01 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर छात्र–अध्यापक कोर्स के अगले वर्ष में उसी सत्र में नियमित प्रवेश लेने का पात्र होगा तथा अयोग्यता अवधि समाप्ति उपरान्त सभी विषयों की पुनः परीक्षा Ex-Pupil Teacher के रूप में देगा, बशर्ते वह अन्य नियम व शर्ते पूर्ण करता हो। उदाहरणतः यदि प्रवेश वर्ष 2017–19 के छात्र–अध्यापक का परीक्षा जुलाई–2018 में प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान के 01 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर वह अगस्त–2018 में द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेगा व जुलाई–2019 में प्रथम वर्ष के सभी विषयों की पुनः परीक्षा व द्वितीय वर्ष की पूर्ण विषयों की नियमित परीक्षा देने का पात्र होगा।

इसी कड़ी में यदि किसी छात्र–अध्यापक को द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के दौरान 01 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो ऐसे छात्र–अध्यापक अयोग्यता अवधि समाप्ति उपरान्त द्वितीय वर्ष के सभी विषयों की पुनः परीक्षा Ex-Pupil Teacher के रूप में देगा, बशर्ते वह अन्य नियम व शर्ते पूर्ण करता हो।"

इस संबंध में लिखा जाता है कि उक्त निर्णय प्रवेश वर्ष 2018–20 से लागू किया जाना है।

Rajesh Sh. 20/5/2019
सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव